

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/100 | दिनांक:-20/5/09

आदेश

निदेशालय के आदेश कमांक ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/08/998 दिनांक 19.5.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री निर्मल कुमार जैन	आई0ई0सी0 निदेशालय मुख्यालय	आर0एच0एस0डी0पी0 निदेशालय मुख्यालय
2	श्री दिनेश कुमार सकसैना	जिला क्षय निवारण केन्द्र कोटा	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 कोटा के अधीन
3	श्री दिनेश शर्मा	आरएचएसडीपी निदेशालय मुख्यालय	आई0ई0सी0 निदेशालय मुख्यालय
4	श्री राजेश पाराशर	पीएमओ धौलपुर	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 करौली के अधीन
5	श्री कैलाशचंद छीपा	राजकीय चिकि0 शाहपुरा जयपुर	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 जयपुर प्रथम के अधीन
6	श्री खेमराज	मु0 चिकि0 एवं स्वा0 अधि0 झालावाड	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 झालावाड के अधीन
7	श्री राजमल सोनी	आर0सी0एच0ओ0 झालावाड	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 झालावाड के अधीन
8	श्री प्रदीप कुमार सोनी	संयुक्त निदेशक जोन उदयपुर	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 उदयपुर के अधीन
9	श्री अशोक कुमार राजपूत	अधीक्षक जनाना अस्पताल जयपुर	आर0सी0एच0ओ0 जयपुर
10	श्री मधुरमोहन गुप्ता	उपमुचिएवंस्वाअ0 दक्षिण बीकानेर	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 बीकानेर के अधीन
11	श्री मुकेश चौधरी	अधीक्षक पीबीएम चिकि0 बीकानेर	सैटेलाईट चिकि0 बीकानेर
12	श्री मण्डलेश गौतम	आर0सी0 एच0 ओ0 कोटा	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 कोटा के अधीन
13	श्री त्रिलोकी चंद शर्मा	अधीक्षक जनाना अस्पताल जयपुर	मनो चिकित्सालय जयपुर
14	श्री मूल सिंह	एनआरएचएम, निदेशालय मुख्यालय	औषधि अनुभाग निदेशालय मुख्यालय
15	श्री गोविन्द सिंह	अधीक्षक पीबीएम चिकि0 बीकानेर	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 बीकानेर के अधीन
16	श्री शंकरलाल सिहाग	पीएमओ चूरु	मु0 चि0 एवं स्वा0 अ0 रतनगढ के अधीन

17	श्री नरेन्द्रपाल सिंह	खण्ड चिकित्सा अधिकारी धौलपुर	मु० चि० एवं स्वा० अ० धौलपुर के अधीन
18	श्री अनिलकुमार खत्री	अधीक्षक पीबीएम चिकि० बीकानेर	मु० चि० एवं स्वा० अ० हनुमानगढ के अधीन
19	श्री चन्द्रवीर सिंह राठौड	महाराणा भूपाल चिकि० उदयपुर	मु० चि० एवं स्वा० अ० उदयपुर के अधीन
20	श्री हेमन्त कुमार जांगिड	संयुक्त निदेशक जोन जोधपुर	मु० चि० एवं स्वा० अ० जोधपुर के अधीन
21	श्री गोविन्द पारीक	रोकड शाखा, निदेशालय मुख्यालय	रोकड शाखा, निदेशालय मुख्यालय
22	श्री मुरली कुमार	राजपत्रित डीपीसी निदेशालय मुख्यालय	राजपत्रित डीपीसी निदेशालय मुख्यालय
23	श्री गोविन्द दाधीच	लेखा शाखा, निदेशालय मुख्यालय	लेखा शाखा, निदेशालय मुख्यालय
24	श्री नरपत कुमार सोलकी	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी बाडमेर	मु० चि० एवं स्वा० अ० बाडमेर के अधीन
25	श्री नन्दलाल सूरा	आर०सी०एच०ओ० झुन्झुनू	मु० चि० एवं स्वा० अ० झुन्झुनू के अधीन
26	श्री जानकीदास बैरागी	महाराणा भूपाल चिकि० उदयपुर	मु० चि० एवं स्वा० अ० उदयपुर के अधीन
27	श्री अमर सिंह यादव	मु० चि० एवं स्वा० अ० करौली	मु० चि० एवं स्वा० अ० करौली के अधीन
28	श्री किशोर कुमार क्षत्री	अस्प० प्रशा० अनुभाग, निदेशालय मुख्यालय	विधि अनुभाग निदेशालय मुख्यालय
29	श्री खनीश बावेजा	पूल अनुभाग निदेशालय मुख्यालय	पूल अनुभाग निदेशालय मुख्यालय
30	श्री राजकुमार शर्मा	मलेरिया अनुभाग निदेशालय मुख्यालय	गोपनीय अराज० अनुभाग निदेशालय मुख्यालय
31	श्री बन्नालाल मीणा	मु०चि० एवं स्वा०अ० टोंक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी टोंक
32	श्री कालूलाल मीणा	मु०चि० एवं स्वा० अ० बारां के अधीन	मु० चि० एवं स्वा० अ० बारां के अधीन

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 10.6.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ००७(१)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वलि0/09/100।

दिनांक:-20/5/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 3- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर